न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **प्रभा गौतम** आर.ए.एस.

1 प्र. सं. 101/2022 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 06.05.2022
G.C.M.S. NO:-2022/101

मोहनदास पिता जगन्नाथ उम्र वयस्क, निवासी आक्या, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़
.....निगराकार

बनाम

1 भैरूलाल पिता रामलाल बंजारा उम्र वयस्क, निवासी आक्या, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़
2 ग्राम पंचायत आक्या, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़
3 ग्राम पंचायत आक्या, जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत आक्या, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़
.....विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 002 दिनांक 16.07.2012 ग्राम पंचायत आक्या

2 प्र. सं. 103/2022 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 06.05.2022
G.C.M.S. NO:-2022/103

मोहनदास पिता जगन्नाथ उम्र वयस्क, निवासी आक्या, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़
.....निगराकार

बनाम

1 लाली बाई पत्नि भैरूलाल बंजारा उम्र वयस्क, निवासी आक्या, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़
2 ग्राम पंचायत आक्या, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़
3 ग्राम पंचायत आक्या, जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत आक्या, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़
.....विपक्षीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 001 दिनांक 16.07.2012 ग्राम पंचायत आक्या

उपस्थिति : 1–श्री चन्दनमल जणवा, अधिवक्ता निगराकार

निर्णय

दिनांक 09.04.2025

उपरोक्त दोनों प्रकरण एक ही प्रकृति के होने से एक साथ एक ही निर्णय द्वारा निर्णित किये जा रहे हैं। निर्णय की प्रति प्रत्येक प्रकरण की पत्रावली में संलग्न की जावे। प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत आक्या द्वारा विपक्षी संख्या 1 को जारी पट्टा न्याय, नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। विपक्षी संख्या 1 के पिता एवं ससुर ग्राम पंचायत आक्या में कार्यरत थे जिससे उन्होनें अपने प्रभाव का दुरूपयोग कर अपने पुत्र एवं पुत्रवधू के नाम पर अवैधानिक तरीके से पट्टे जारी करवा लिये जो निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर जारी पट्टा निरस्त किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। गैर निगराकारगण को सूचना पत्र तामील होने के बावजूद गैर निगराकार उपस्थित नहीं हुए। अतः गैर निगराकारगण के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से गैर निगराकारगण की अनुपस्थिति रेकार्ड की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। विकास अधिकारी, पंचायत समिति भदेसर ने उक्त पट्टों से संबंधित अभिलेख जिनमें पट्टा बुक, बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर एवं केश–बुक प्रस्तुत की जबकि पट्टों से संबंधित मिसलें प्रस्तुत नहीं की गई। अतः बहस प्रकरण अधिवक्ता निगराकार सुनी गई एवं प्रकरण गुणावगुण पर देखा गया।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने कथन किया कि ग्राम पंचायत आक्या ने गैर निगराकार संख्या 1 को न्याय, नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत पट्टा जारी किया है। गैर निगराकार संख्या 1 के पिता एवं ससुर स्वयं ग्राम पंचायत आक्या में कार्यरत थे जिन्होनें अपने प्रभाव का दुरूपयोग कर अपने पुत्र एवं पुत्रवधू को नियमों के विपरीत अलग–अलग पट्टे जारी करा दिये। जिस जगह का गैर निगराकार संख्या 1 को पट्टा जारी किया गया है वहां निगराकार का कई वर्षों से कब्जा होकर उक्त भूखण्ड का निगराकार उपयोग–उपभोग कर रहा है। अधीनस्थ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ग्राम पंचायत आक्या ने गैर निगराकार भैरूलाल के नाम पर पूर्व में पट्टा होते हुए भी वर्ष 2017 में पुनः एक ओर पट्टा संख्या 21 दिनांक 30.08.2017 जारी कर दिया है जो उनके पिता के प्रभाव से ग्राम पंचायत आक्या में कार्यरत रहते हुए जारी हुआ है इससे स्पष्ट है कि उक्त पट्टा बिना किसी प्रक्रिया अपनाये गैर निगराकार को नाजायज लाभ पहुंचाने की नियत से जारी किया गया है। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से गरीब एवं असहाय परिवारों को निः शुल्क एवं रियायती दर पर आवास उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से पट्टे जारी किये जाते हैं किन्तु अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने सरकार की मंशा के विपरीत गैर निगराकार संख्या 1 को विधि–विरूद्ध पट्टे जारी किये हैं जबकि उक्त विवादित पट्टा स्थल पर निगराकार का कब्जा वर्षों से चला आ रहा है। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व तीन पंचों की कमेटी गठित नहीं की, मौका निरीक्षण नहीं किया ना ही मिसल कायम की और ना ही उजरदारी नोटिस जारी किया। गैर निगराकार संख्या 1 के पिता एवं ससुर ने अपने प्रभाव का दुरूपयोग कर गुपचुप तरीके से सारी कार्यवाही करा अपने पुत्र एवं पुत्रवधू के नाम पट्टा जारी करा लिया जो अवैधानिक एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत आक्या द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे निरस्त फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता निगराकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया एवं प्रकरण गुणावगुण पर देखा। न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत से पट्टों से संबंधित रेकार्ड/अभिलेख तलब करने पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति भदेसर द्वारा उक्त पट्टों से संबंधित मिसलें प्रस्तुत नहीं की गई और पट्टा बुक, केश–बुक एवं बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर ही प्रस्तुत किए हैं। प्रस्तुत बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर संख्या 176 जारी दिनांक 28.04.2011 का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 27.06.2012 के प्रस्ताव संख्या 03 से गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में सीधे ही रियायती दर से भूखण्ड आवंटन की स्वीकृति सर्व–सम्मति से जारी करने का अंकन है इसके अतिरिक्त उक्त पट्टे जारी करने संबंधित ओर कोई कार्यवाही अंकित नहीं है।

पट्टे संबंधित रेकार्ड/अभिलेख तलब करने पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भदेसर द्वारा मिसल नहीं भिजवाना इस तथ्य को बल देता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व पत्रावली/मिसल कायम ही नहीं की गई। पंचायत के सदस्यों/नियुक्त पंचों द्वारा पर्चा मौका, निरीक्षण एवं नक्शा भी नहीं बनाया गया, न ही रियायती दर पर आवंटन किये जाने के संबंध में आपत्तियां आमन्त्रित की गयी है। इस प्रकार पंचायती राज नियमों की पालना नहीं की गई है।

साथ ही प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट प्रतिवेदित है कि दोनों प्रकरणों के गैर निगराकार संख्या 1 भैरूलाल पिता रामलाल बंजारा (प्र.सं. 101/2022) एवं लाली बाई पत्नि भैरूलाल बंजारा (प्र.सं. 103/2022) निवासी आक्या आपस में पति पत्नि है तथा दोनों पति–पत्नि को ग्राम पंचायत आक्या द्वारा रियायती दर पर पट्टा बुक संख्या 176 से अलग–अलग पट्टे क्रमशः पट्टा संख्या 002 एवं 001 दिनांक 16.07.2012 को 1250–1250 वर्गफीट के जारी किये गये हैं। इस प्रकार दोनों पति–पत्नि को अलग–अलग 1250–1250 वर्गफीट के पट्टे जारी किये जाने का क्या औचित्य है। प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट प्रतिवेदित है कि गैर निगराकार संख्या 1 भैरूलाल पिता रामलाल बंजारा को उक्त पट्टा संख्या 002 जारी किये जाने के बावजूद भी वर्ष 2017 में दिनांक 30.08.2017 को पट्टा संख्या 21 जारी किया गया है जिसकी अलग से निगरानी (प्र.सं. 102/2022) इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ ग्राम पंचायत आक्या द्वारा बिना जांच पड़ताल किए, बिना पत्रावली कायम किए, पंचायती राज नियमों की पालना किए बगैर गैर निगराकार संख्या 1 को नाजायज लाभ पहुंचाने की नियत से विधि–विरूद्ध पट्टे जारी किया जाना स्पष्ट प्रतिवेदित है। निष्कर्षतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानियां स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत आक्या, पंचायत समिति, भदेसर द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 16.07.2012 को जारी पट्टा क्रमांक क्रमशः 002 एवं 001 निरस्त किये जाते हैं। निर्णय की प्रति संबंधित दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

(प्रभा गौतम)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official